सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 148/14 **निर्णय दिनांक 19.07.2018**

1. प्रभूसिंह पुत्र स्व. गनेसिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।
2. पप्पूसिंह पुत्र स्व. गनेसिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।
3. मदन सिंह पुत्र स्व. गनेसिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।
4. केसूसिंह पुत्र स्व. गनेसिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।
5. कुशाल सिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।
6. रतन सिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सरवण सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. समुन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
4. इन्द्रकंवर पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
5. तीज कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
6. करणी सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
7. बलदेव सिंह पुत्र गने सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
8. सोहन सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

9. दान सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
10. बैरीसालसिंह पुत्र जेठमाल सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20—08—2014
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20—08—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ के खसरा नम्बर 315 की 155.10 बीघा भूमि 3/5 हिस्सा भूमि अपीलांट की खातेदारी पैतृक एच.यू.एफ. में अर्जित जन्म से पिता के जीवन काल से 3/4 उक्त जोत संवत् 2012 से पूर्व की भूमि रही है। वादगत् भूमि पर भौतिक रूप से अपीलांट का कब्जा काश्त व वादगत् भूमि अपीलांट के उपयोग व उपभोग में चली आ रही है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। जिस पर अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के

समक्ष उक्त तमाम तथ्य प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट्स को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय कारित होगी। अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट की स्वअर्जित खातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 315 की 155 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्व. जेठमालसिंह 1/2 हिस्सा व स्व. भोपालसिंह व अप्रार्थी संख्या 10 बैरिसालसिंह के नाम बहिस्सा बराबर आवंटन है। पूर्व में उक्त भूमि आराजीराज थी। संवत् 2010 से 2013 तकम खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि स्व. जेठमालसिंह व स्व. भोपालसिंह व अप्रार्थी संख्या 10 के नाम से कुल 170.10 बीघा भूमि दर्ज रही है। तत्पश्चात् चकबन्दी व मुरब्बा नम्बर आने पर 15 बीघा भूमि चकबन्दी में चली गई तथा शेष भूमि आराजीराज दर्ज की गई। इसप्रकार वादगत् भूमि कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही है। नाही अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर जन्म से किसी प्रकार का कोई अधिकार रहा है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादगत् भूमि स्व. जेठमालसिंह एवं स्व. भोपालसिंह व अप्रार्थी संख्या 10 के नाम काबिल पुत्रों की हैसियत से दर्ज की गई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में अपने हक व हकूकों के संबंध में अपने अधिकार के स्वरूप किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूक साबित होते हो। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनती है। इसी क्रम में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह भी अभिलिखित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 को असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि ग्राम रोही भाण्डसर तहसील छत्तरगढ़ के खसरा नम्बर 315 की 155.10 बीघा भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 315 की 155.10 बीघा भूमि के 3/5 हिस्सा अपीलांट की जोत खातेदारी पैतृक एच.यू.एफ. में अर्जित जन्म से पिता के जीवनकाल से हिस्सा निहित है तथा भौतिक रूप से अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज व निरन्तर उपयोग व उपभोग में चली आ रही है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही वादगत् भूमि पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के कोई हक व हकूक साबित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा जमाबन्दी सवंत् 2010–2013 के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि वादगत् भूमि ग्राम भाण्डसर के खसरा नम्बर 315 की 155.10 बीघा भूमि स्व. जेठमालसिंह व स्व. भोपालसिंह व अप्रार्थी संख्या 10 के नाम से दर्जशुदा है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति नहीं है।

(4) प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि पर उनका जन्म से हिस्सा निहित है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्जशुदा होने व अपीलांट का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं होने का कथन किया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में जेठमालसिंह, भोपालसिंह व बैरिसालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर उनका कोई हक व हिस्सा साबित होता हो। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स पर अपना विवेचन अंकित करते हुए यह माना है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया है कि यदि वादगत् भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 10/रेस्पोडेन्ट्स को असुविधा होगी। प्रकरण में अपीलांट्स न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपने पक्ष को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत करने में असफल रहे है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 20—08—2014 निरस्त किया जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर